

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6ए0/वि01-1041/2020 - 322
सेवा में,

पटना - 15, दिनांक :- 20.02.2022

महालेखाकार,

वीर चंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय - वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यशीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघुशीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-मांग संख्या-36-उप शीर्ष-0106-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)-विपत्र कोड-36-2215011020106-विषय शीर्ष-0106.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 2500.00 लाख रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

2. ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए वर्ष 2024-25 में योजना बजट में 3440.00 लाख रुपये (चाँतीस करोड़ चालीस लाख रुपये मात्र) का प्रावधान है। इस राशि का व्यय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के निश्चय "हर घर नल का जल" के तहत पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने एवं अन्य सदृश्य कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कार्यों पर किया जाना है। इसके लिए तत्काल 2500.00 लाख रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) मात्र की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जा रहा है।

3. इस योजना पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-मांग संख्या-36-उप शीर्ष-0106-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)-विपत्र कोड- 36-2215011020106-विषय शीर्ष-0106.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारितव्य होगा।

4. उक्त शीर्ष अंतर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) अंतर्गत स्वीकृत सभी चालू योजनाएँ तथा आवंटन आदेश संख्या-.....505.....(आ.) दिनांक-20.02.2022 के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

5. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या-5537, दिनांक-24.06.2015 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यपालक अभियंता (मो02)-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना द्वारा की जायेगी, यह राशि CFMS के माध्यम से निकासी कर सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना स्थित बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता संख्या -PNB PLA 006, विपत्र कोड-00-8448-00-120-0041 में अंतरण किया जायेगा।

6. विषयगत राशि की निकासी की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु प्रदान की गई है।

7. इस पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8. यह राशि बजट के अधीन है।

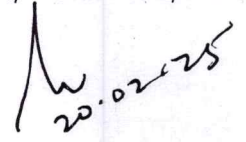
बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक - 322

पटना, दिनांक - 20.2.25

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



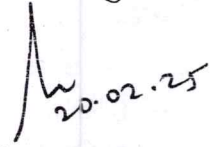
(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक - 322

पटना, दिनांक - 20.2.25

2. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव -सह- सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/मुख्य अभियन्ता (उत्तर/दक्षिण बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/निदेशक SPMU/मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार, पटना/विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/उप निदेशक (अन्वे0)/उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त दो प्रतियों सहित/निदेशक, पी0एम0यू0/कार्यपालक अभियन्ता (मो02)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी -6/कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी-6 को अतिरिक्त दो प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(संजीव कुमार)
विशेष सचिव